झारखंड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :–02.12.2016 विज्ञापन संख्या–38/2016

झारखण्ड राज्य के सभी **विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों (गैर शैक्षणिक)** के साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हत्ताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. पद का नाम एवं वेतनमान :–

क्र0सं0	पद का नाम	पद कोड	वेतनमान	ग्रेड पे
1.	Registrar	2201/16	37,400–67,000/–	10,000/–
2.	Finance Officer	2202/16	37,400–67,000/–	10,000/–
3.	Controller of Examinations	2203/16	37,400–67,000/–	10,000/–
4.	Deputy Registrar	2204/16	15,600–39,100/–	7,600/–
5.	Assistant Registrar	2205/16	15,600–39,100/–	5,400/–

Note :-

The appointment of Registrar, Controller of Examinations and Finance Officer shall be on the basis of direct recruitment for a tenure of four years, which may be extended by the order of the syndicate for further four years only.

2. रिक्तियों का विवरण

Sl. No.	Name of Post	Ranchi University, Ranchi						Vinoba Bhave University, Hazaribag						Sidho Kanhu Murmu University, Dumka						Nilamber Pitamber University, Palamu						Kolhan University, Chaibasa						Grand Total
		UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	TOTAL	
1.	Registrar	-		-	-	-	-	01	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01	03
2.	Finance Officer	01		-	-	-	01	01	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	04
3.	Controller of Examinations	01		-	-	-	01	01	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	01	05
4.	Deputy Registrar	-	01	-	-	-	01	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	02	04
5.	Assistant Registrar	-		-	-	-	-	01	01	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	01	01	-	-	-	02	05

3. अर्हत्ता एवं अनुभव –:

Sl. No.	Name of Post	Qualification & Experience
1.	**Registrar**	1. A Master's degree with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale. 2. At least 15 years of experience as Assistant Professor/Lecturer or six years' experience as Associate Professor or Reader or as Professor along with experience in educational administration/Directorate. OR Comparable experience in research establishment and/or other Institutions of higher education. OR At least 15 years of administrative and teaching or administration experience of which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post.
2.	**Finance Officer**	A master's degree/ MBA degree with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale or Chartered Accountant or ICWA. At least 15 years of experience as Assistant Professor/Lecturer or six years experience as Associate Professor or Reader or as Professor along with experience in financial administration in any University or College. OR Comparable experience in financial administration in Govt. or semi govt. Institution or in organization of repute or in any other institutions of higher education. OR At least 15 years of administrative and teaching or administration experience of which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post.

3.	**Controller of Examinations**	1. A master's degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale. 2. At least 15 years of experience as Assistant Professor/Lecturer or six years experience as Associate Professor or Reader or as Professor along with experience in educational administration/Directorate. OR Comparable experience in research establishment and/or other Institutions of Higher education. OR At least 15 years of administrative and teaching or administration experience of which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post.
4.	**Deputy Registrar**	1. A Master's degree with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale. 2. Nine years' of experience as Assistant Professor/Lecturer in a college or a university with experience in educational administration. Or Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education. Or Five years' of administrative experience as Assistant Registrar.
5.	**Assistant Registrar**	Good academic record plus Master's degree with at least 55% marks or equivalent grade of B in the UGC seven point scale. **Experience :** Five years of supervisory experience. The experience should be in establishment/legal matters in a Government/Semi Government/ Public Sector/Autonomous organizations/ University/ Educational Institutions of Higher Learning and having a good working Knowledge of general administration and rules and regulations relating to University.

4. **PERCENTAGE EQUIVALENCE OF GRADE POINTS FOR A SEVEN POINTS SCALE:**

It is hereby clarified that where the University/College/Institution declare results in grade points which is on a scale of seven, the following mechanism shall be referred to ascertain equivalent marks in percentage:

Grade	Grade Point	Percentage Equivalent
'O' - Outstanding	5.50-6.00	75-100
'A' - Very Good	4.50-5.49	65-74
'B' - Good	3.50-4.49	55-64
'C' - Average	2.50-3.49	45-54
'D' - Below Average	1.50.2.49	35-44
'E' - Poor	0.50-1.49	25-34
'F' - Fail	0-0.49	0-24

5. **उम्र एवं अनुभव गणना की तिथिः–**

(i) साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों के उम्र एवं अनुभव की गणना की तिथि **01.08.2016** होगी।

(ii) पद कोड सं0–2201/16, 2202/16 एवं 2203/16 के लिये आयु 55 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जायेगी।

(iii) पद कोड सं0–2204/16 के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा 55 वर्ष से कम होनी चाहिये।

(iv) पद कोड संख्या– 2205/16 के लिये झारखण्ड राज्यन्तर्गत विश्वविद्यालयों के लिए सेवानिवृति हेतु निर्धारित उम्र सीमा 60 वर्ष से न्यून।

6. अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I), एवं पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) के लिए कोई रिक्ति नहीं है। अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I) एवं पिछड़ा वर्ग (Annexure-II) के अभ्यर्थी अनारक्षित पद के विरूद्ध आवेदन दे सकते हैं परंतु उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

7. **आरक्षण :–**

(i) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iii) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।** झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जनजाति** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वर्तमान का झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत प्राधिकार, प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि का विवरण आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(iv) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।

(v) साक्षात्कार के समय आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. (i) **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः—**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
    (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
    (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
    (iii) canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) **कदाचार के लिए कार्यवाही :—**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभावः–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

9. प्रविष्टि :

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210 X 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट–**www.jpsc.gov.in** से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों का समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :–

(i) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; सचिन कुमार, इस प्रकार भरा जाय –

स	चि	न		कु	मा	र		

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा – AMIT KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :–

A	M	I	T		K	U	M	A	R		R	A	M			

(iii) उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(v) **आवेदक 'शैक्षणिक योग्यता' के अधीन 'प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vi) आवेदक अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सकें।

(vii) यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा उसे क्रॉस (x) कर दें।

10. फोटोग्राफ :–

आवेदन पत्र पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

11. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :–

(i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :–

1) आयु संबंधी मैट्रिक का प्रमाण पत्र/अंक पत्र,
2) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
3) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
4) पीएच.डी. प्रमाण पत्र (यदि हो),
5) अनुभव प्रमाण पत्र,
6) जाति प्रमाण पत्र,

(ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं॰, पद कोड एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

12. **परीक्षा शुल्क** :–

(i) सामान्य उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में रुपये **600/–**(छह सौ) मात्र + बैंक चार्ज रुपये **50/–** (पचास) मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रुपये **150/–** (एक सौ पचास) मात्र + बैंक चार्ज रुपये **50/–** (पचास) मात्र देय होगा। परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या–**35188236679** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। उक्त चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। चालान की एक मूल प्रति (JPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।

(ii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट हेतु न्यूनतम अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(iii) विकलांग (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

13. **अन्य** :–

(i) प्रत्येक विज्ञापित पदों के लिए अलग–अलग आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(i) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(iii) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(iv) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(v) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. **अंतिम तिथि** :–

(i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल **निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ** से इस प्रकार भेजे कि दिनांक–**17.11.2016** से दिनांक–**02.12.2016** अपराह्न **5:00** बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

Sd/-
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।